

भारतीय डाक



**Pradhan Mantri
Suraksha Bima Yojana**

**Pradhan Mantri
Jeevan Jyoti Bima Yojana**

**Atal
Pension
Yojana**

1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना :-

- ❖ बीमा कवर ₹ 2,00,000 / -
- ❖ आयु सीमा 18 से 50 वर्ष।
- ❖ वार्षिक किस्त ₹ 330 / -
- ❖ बीमित राशि का भुगतान नामित को किया जाता है।
- ❖ इस योजना में मात्र मृत्यु को बीमाकृत किया जाता है, किसी प्रकार की विकलांगता को नहीं।
- ❖ यह एक वर्षीय बीमा योजना है जिसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।
- ❖ प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण आवश्यक है।
- ❖ नवीनीकरण किस्त बीमित के डाकघर बचत खाते से स्वतः निकासी की सुविधा।

2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना :-

- ❖ बीमा कवर ₹ 2,00,000 / -
- ❖ वार्षिक किस्त ₹ 20 / -
- ❖ आयु सीमा 18 से 70 वर्ष।
- ❖ बीमित राशि का भुगतान नामित को किया जाता है।
- ❖ इस योजना में किसी भी प्रकार कि दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा पूर्ण विकलांगता की अवस्था में ₹ 2,00,000 / - देय होगा।
- ❖ स्थायी आंशिक विकलांगता की अवस्था में ₹ 1,00,000 / - देय होगा।
- ❖ यह एक वर्षीय बीमा योजना है जिसकी अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है।
- ❖ प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण आवश्यक है।
- ❖ नवीनीकरण किस्त बीमित के डाकघर बचत खाते से स्वतः निकासी की सुविधा।

3. अटल पेंशन योजना :-

- ❖ आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक किन्तु 40 वर्ष से कम।
- ❖ अंशदाता को 60 वर्ष पूर्ण करने पर प्रतिमाह ₹ 1,000 / - से ₹ 5,000 / - तक पेंशन प्रदान की जायेगी।
- ❖ अंशदाता की मृत्यु होने पर पेंशन राशि अंशदाता के पति / पत्नी को देय होगी।
- ❖ यदि अंशदाता एवं पति / पत्नी दोनों की ही मृत्यु हो जाती है तो नामित व्यक्ति को संचित पेंशन धन जो कि ₹ 1.70 लाख से ₹ 8.5 लाख के मध्य है (पेंशन राशि के अनुसार) देय होगा।
- ❖ मासिक किस्त बचत खाते से स्वतः निकासी की सुविधा।

**अधिक जानकारी के लिए नजदीकी डाकघर अथवा चीफ पोस्टमास्टर जनरल
कार्यालय उत्तराखण्ड परिमण्डल के दूरभाष संख्या 0135-2653393 पर सम्पर्क करें।**